छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011
(चैत्र-9, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री भोलाराम साहू, सदस्य का नाम पुकारा गया। माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं किया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा विधायकों को ताड़मेटला जाने से रोके जाने संबंधी घटना का उल्लेख किया गया एवं नारे लगाए गए।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों प्रश्नकाल के पश्चात् अपनी बात रखने एवं प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष द्वारा डॉ.शक्राजीत नायक एवं डॉ.शिव डहरिया, सदस्य का नाम प्रश्न हेतु पुकारा गया। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रश्नकाल में संविधान के अनुसार कार्यवाही चले एवं प्रश्नकाल के पश्चात् आप यह मुद्दा उठाईये। विधान सभा के नियम प्रक्रिया के तहत सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के पश्चात मैं आपको अपनी बात रखने की अनुमति दूंगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारेबाजी के बीच श्री संतोष बाफना द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.19 बजे स्थगित की जाकर 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

2.माननीय सदस्यों की बंदी एवं रिहाई की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172 के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोन्टा मुख्यालय सुकमा की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य

माननीय सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, भजनसिंह निरंकारी, अमरजीत भगत, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, ह्दयराम राठिया, लखमा कवासी, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, बोधराम कंवर एवं कुलदीप सिंह जुनेजा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है:-

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (अधिनियम) की धारा 151 जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैने यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य माननीय सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, भजनसिंह निरंकारी, अमरजीत भगत, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री ह्दयराम राठिया, श्री कवासी लखमा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री बोधराम कंवर एवं श्री कुलदीप सिंह जुनेजा को सुरक्षा की दृष्टि एवं शांति भंग होने के अंदेशा के कारण बंदी/निरूद्ध कर लिया जाये।

तद्नुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य माननीय सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, भजनसिंह निरंकारी, अमरजीत भगत, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, ह्दयराम राठिया, लखमा कवासी, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, बोधराम कंवर एवं कुलदीप सिंह जुनेजा को दिनांक 29/3/2011 को 14.30 पर बंदी कर लिया गया और उन्हें दिनांक 29/3/2011 को ही 15.30 बजे निजी मुचलके पर नि:शर्त रिहा किया गया।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमश:)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने कथन किया कि एस.डी.एम.द्वारा जो जानकारी दी गई है, वह गलत है। रिहाई निजी मुचलके पर नहीं अपितु नि:शर्त की गई है।

माननीय अध्यक्ष ने पुन: प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री भजनसिंह निरंकारी एवं श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम प्रश्न हेतु पुकारा। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न नहीं किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.42 बजे स्थगित की जाकर 12.05 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किए जाने का आग्रह किया।

4.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा दक्षिण बस्तर स्थित ताड़मेटला एवं चिन्तलनार गांव में भोजन, पानी एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी 5 सदस्यों की प्राप्त स्थगन सूचनाओं में सर्वप्रथम प्राप्त श्री मोहम्मद अकबर की सूचना पढ़ी गई।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया।

5.स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :- सर्वश्री मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल।

(भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, अमरजीत भगत, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, जयसिंह अग्रवाल, रामदयाल उईके, धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी।

7. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आने पर स्वयं निलंबित हुए सदस्यों के निलंबन की अवधि को समाप्त कर दिया है। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से सभा की कार्यवाही में पुनः हिस्सा लेने का अनुरोध किया।

8.स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमशः)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने भी वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से भोजनावकाश स्थगित कर निरंतरता में कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010,

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(3) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री ने -

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, एवं 2007-2008, पटल पर रखा।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा (अनुपस्थित) धर्मजीत सिंह (अनुपस्थित) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धान उपार्जन केन्द्रों में सूखत हानि बतायी जाकर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों से सभा में आकर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चंदेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री संतोष बाफना, सभापति ने याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

(2) श्री ब्रम्हानंद

(3) श्री फूलचंद सिंह

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्नलिखित विधेयकों को उनकी महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011)

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया:-

(1)	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10, सन् 2011)	-	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011)	-	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12, सन् 2011)	-	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 13, सन् 2011)	-	15 मिनट

(5) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने चर्चा में भाग लियाः-

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया:-

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 31 मार्च, 2011 (चैत्र 10, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा